भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1680

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

.....

भू-जल स्तर का आंकलन

1680. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हरियाणा राज्य के लिए भूजल स्तर का आकलन और जल संसाधनों का हेलीकॉप्टर सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से हरियाणा राज्य में कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल का कनेक्शन प्रदान किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा देश में और हरियाणा राज्य में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) हरियाणा राज्य में वर्षा जल संचयन की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं, इस संबंध में राजसहायता संबंधी योजनाओं, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2019 से हरियाणा राज्य में इस पर किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा मॉनीटरिंग कूपों के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर हरियाणा सहित पूरे देश में भूजल स्तरों की आवधिक रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है। नवंबर 2022 के दौरान, हरियाणा राज्य में जल स्तर की गहराई 2 मीटर से कम से लेकर जमीनी स्तर से 40 मीटर (एमबीजीएल) से अधिक तक थी। मॉनीटरिंग किए गए कुल 268 कूपों में से, 52.6% कुओं में 0-10 मीटर (एमबीजीएल - जमीनी स्तर से नीचे मीटर में गहराई) के मध्य थी, जो भूजल की सुलभता का सूचक है।

हरियाणा राज्य के कुछ हिस्सों में हेलीबोर्न ट्रांसिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक (एच-टीईएम) सर्वेक्षण किया गया था जिसमें यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों के कुछ हिस्सों में पड़ने वाले 2,644 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में, उप-सतही लिथोलॉजिकल सूचनाओं का अनुमान लगाया गया है और कुल 158 संभावित भूजल ड्रिलिंग और 122 प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण (एमएआर) क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(ख): अगस्त, 2019 से, भारत सरकार द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिशन अवधि के दौरान नल के जल के कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। योजना के शुभारंभ के बाद से, जैसा कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, हरियाणा में 12.75 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के जल का कनेक्शन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, अब तक हरियाणा में सभी 30.41 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के जल का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

(ग): जल राज्य का विषय है, पेयजल की गुणवत्ता में सुधार सहित जल संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय की शुरुआत और इसके कार्यान्वयन का दायित्व मुख्यत संबंधित राज्य सरकारों का है। भारत सरकार द्वारा अपनी ओर से विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से आवश्यक तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जेजेएम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया है कि वे आवधिक आधार पर जल गुणवत्ता का परीक्षण करें अर्थात रासायनिक और भौतिक पैरामीटरों के लिए वर्ष में एक बार और बैक्टीरियोलॉजिकल (जीवाणुगत) पैरामीटरों के लिए वर्ष में दो बार और आवश्यकतानुसार, उपचारात्मक कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरों में आपूत किया जाने वाला जल निर्धारित गुणवत्ता का हो। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 12.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर 2,111 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। कुछ अन्य संबंधित गतिविधियों निम्नलिखित हैं:

i. पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आम जनता के लिए नाममात्र दर पर उनके जल नमूनों की जांच के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया है कि वे ग्रामीण स्तर पर फील्ड टेस्टिंग किट्स (एफटीके)/बैक्टीरियोलॉजिकल वीयल्स का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित करें।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल की गुणवत्ता के लिए जल के नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम- जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण के प्राप्त रिपोर्ट का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित लिंक https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report पर भी देखा जा सकता है:

iv. उपर्युक्त के अतिरिक्त सीजीडब्ल्यूबी द्वारा संदूषण मुक्त जलभृतों से निकासी के लिए सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण किया जाता है और फ्लोराइड शमन में राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान किया जाता है। सफल कुओं को समुचित उपयोग के लिए राज्य सरकार को सौंप दिया गया है।

v. इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रत्येक वर्ष भूजल गुणवत्ता मानीटरिंग और विशेष अध्ययनों के दौरान सृजित भूजल गुणवत्ता आंकडे नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सहित राज्य सरकारों के साथ साझा किए जाते हैं।

vi. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल के पुनर्भरण और जल संरक्षण के लिए कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनसे भूमिगत जल स्तर में सुधार होने की संभावना है और तदुपरांत जिससे भूजल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इनमें से कुछ पहल जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर मिशन, अटल भूजल योजना, मनरेगा, पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी आदि हैं।

(घ): जल शक्ति अभियान (जेएसए) को वर्ष 2019 से पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा राज्य (2021 से) भी शामिल है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण, वाटरशेड प्रबंधन, पुनर्भरण और पुन: उपयोग संरचनाओं के निर्माण, गहन वनीकरण और जागरूकता सृजन आदि के माध्यम से मानसून वर्षा का प्रभावी रूप से संचयन करना है। हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में लगभग 88.64 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ विभिन्न वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण कार्य जैसे चेक डैम, खेत तालाब, छत के वर्षा जल संचयन, सोक पिट, परकोलेशन टैंक, गली प्लग आदि कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हरियाणा सहित 7 राज्यों में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य में वर्षा जल संचयन, खेत तालाबों के निर्माण और तालाबों के पुनरुद्धार और नवीकरण के लिए 87.13 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का उपयोग किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत भी, अभिसरण के माध्यम से वर्षा जल संचयन और अन्य जल संरक्षण कार्यों के लिए वित्त पोषण किया जा रहा है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में हरियाणा में ऐसे कार्यों के लिए 226.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस संदर्भ में वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

"भू-जल स्तर का आकलन" के संबंध में दिनांक 18.12.2023 को राज्य सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2019-20 से 2023-24 (11.12.2023 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत हरियाणा राज्य में किए गए जल संरक्षण और जल संचयन कार्यों का विवरण।			
वित्तीय वर्ष 2019-20			
पूर्ण		जारी	
कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)	कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)
1094	4275.29	1509	386.14
वित्तीय वर्ष 2020-21			
पूर्ण		जारी	
कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)	कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)
1119	5860.81	1668	922.36
वित्तीय वर्ष 2021-22			
पूर्ण		जारी	
कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)	कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)
1433	4095.48	1555	1336.96
वित्तीय वर्ष 2022-23			
पूर्ण		जारी	
कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)	कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)
467	958.86	1879	1491.56
वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 11.12.2023 तक)			
पूर्ण		जारी	
कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)	कार्यों की संख्या	व्यय (लाख रुपये)
236	346.78	2266	2977.98
कुल (लाख रुपये)	**15,537.22**	**कुल (लाख रुपये)**	**7,115**

*****